फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर) गोपीराम बनाम ताराचन्द

केस संख्या 31/2014 दावा

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशे
	28.08.15	वादी उपस्थित बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। दावा खारीज किया जाता है। विस्तार से निर्णय प्रथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–31 / 2014

उनवान

गोपीराम पुत्र स्व0 श्री नरसींगराम जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र नरसींगराम
2. घनश्याम पुत्र बालूराम
3. महेन्द्र पुत्र बालूराम
4. नानूडी देवी पत्नि स्व0 भागीरथ
5. बनवारी लाल पुत्र स्व0 भागीरथ
6. बनवारी लाल पुत्र स्व0 भागीरथ
7. लाडा देवी पुत्री स्व0 बालूराम
8. मान्नी देवी पुत्री स्व0 बालूराम
9. पावर्ती देवी पुत्री स्व0 बालूराम
10. आंची देवी पुत्री स्व0 बालूराम
11. रुपा देवी पुत्री स्व0 भागीरथ
12. मंजू देवी पुत्री स्व0 भागीरथ
13. ललिता देवी पुत्री स्व0 भागीरथ
14. ज्याना देवी पुत्री स्व0 परसाराम
15. छोटा देवी पुत्री स्व0 परसाराम

    समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
16. रविशंकर पुत्र जगदीश रैगर, जाति रैगर, निवासी क्यूं 3 / 1, एल0आई0सी0 अपार्टमेन्ट, 5–6 विद्याधर नगर जयपुर, जिला जयपुर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. उप–पंजियक, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–28.08.2019

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम अणतपुरा चिमनपुरा तहसील चौमूं पटवार हल्का अणतपुरा चिमनपुरा, भू0 अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दगढ, जिला जयपुर में स्थित गत खसरा नम्बर 638 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 638 रकबा 0.06 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर जिसके बने हाल खाता संख्या 131 के हाल खसरा नम्बर 1275 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1276 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1278 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1279 रकबा 0.06 हैक्टेयर, कुल किता 4 का कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें वादी सम्पूर्ण भूमि का काबिज

सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मालिक व स्वामी हैं। उक्त आराजीयात ही वाद हाजा में विवादग्रस्त हैं। भूमि विवादग्रस्त वादी के दादा परसा पुत्र डालूराम कौम रैगर के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा वादी अपने दादा परसा के जीवन काल से ही उनके साथ भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं तथा उनकी मृत्यु दिनांक 29.01.1987 को होने उपरान्त वादी अपने दादा स्व0 परसाराम की वसीयत दिनांक 10.10.1986 के अनुसार मौके पर विवादित भूमि सम्पूर्ण पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है, जिससे प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। वादी के दादा परसाराम के वारिसान शुरु से ही अन्य बाहर रहते थे तथा उदयपुरिया में कभी निवास नहीं किया, ना ही परसाराम एवं उनकी पत्नि सुन्दरी देवी की कभी कोई सेवा सुश्रृषा ही की, तथा वादी ने ही अपने दादा परसाराम ए वं अपनी दादी सुन्दरी की सेवा सुश्रृषा की तथा दादी सुन्दरी देवी की मृत्यु होने उपरान्त उसके क्रिया क्रम से सम्बन्धित सभी कार्य भी वादी ने ही किये थे, वादी द्वारा ही अपनी दादी व अपने दादा की सेवा सुश्रृषा से प्रसन्न होकर ही वादी के दादा स्व0 परसाराम ने अपनी मृत्यु पूर्व दिनांक 10.10.1986 को सम्पूर्ण भूमि विवादग्रस्त की वसीयत वादी के नाम कर दी थी तथा तभी से वादी निर्बाध रुप से लगातार प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 की जानकारी में भूमि विवादग्रस्त पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। पूर्व में प्रतिवादीगण के मन में कतई कोई बेईमानी नहीं रही थी, किन्तु अब भूमि विवादग्रस्त की बाजारु कीमतों में वृद्धि हो जाने से प्रतिवादीगण के मन में कतई बेईमानी आने लगी हैं, तथा वे वादी को उसके कब्जे काश्त में उपयोग–उपभोग में दखलन्दाजी करने लगे हैं तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 ने वर्तमान सरपंच रामस्वरुप सौकरिया से मिलीभगत कर एक फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र वादी के दादा परसाराम का अपने हक में जारी करवा लिया एवं कुर्सीनामा जारी करवा कर फर्जी तरीके से विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 16 के हक में दिनांक 21.08.2012 को तसदीक करवा दिया, जो विक्रय पत्र विना किसी कब्जे एवं प्रतिफल के नुमाईशी रुप से करवाया गया विक्रय है। जिसके बाबत वादी को ज्ञान होने पर वादी द्वारा उपखण्ड अधिकारी चौमूं, सम्भागीय आयुक्त आदि के यहां शिकायते दर्ज करवाई, जिसकी जांच विचाराधीन हैं तथा परसाराम की पुत्री ज्याना देवी का नाम जानकी देवी कर दिया गया तथा नरसाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र भी झूंठा प्राप्त कर लिया हैं तथा उदयपुरिया सरपंच द्वारा फर्जी तरीके से जारी किया गया मृत्यु प्रमाण पत्र व कुर्सीनामा के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 वादी की वसीयत द्वारा प्राप्त भूमि को हडप करना चाहते है। जिसका की प्रतिवदीगण को कोई हक व अधिकार प्रापत नहीं है। प्रतिवादीगण का भूमि विवादग्रस्त से कोई लेना देना नहीं है, आज भी मौके पर वादी द्वारा काश्त की हुई है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 16 अपने साथ कुछ लोगों को लेकर दिनांक 09.03.14 को भूमि विवादग्रस्त पर आये तथा आते ही भूमि विवादग्रस्त की

सहायक कलेक्टर चौमूं (फास्ट ट्रेक) जिला–जयपुर

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

नाप—जोख करने लगे, जब वादी ने नाप जोख का कारण पूछा तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 ने कहां की उन्होंने प्रतिवादी संख्या 16 को भूमि बेचान कर दी हैं, अब कब्जा सम्भला रहे हैं, जब वादी ने कहां कि आपका उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है, ये भूमि मुझको दादा परसाराम से वसीयत द्वारा प्राप्त भूमि हैं तो प्रतिवादीगण उग्र हो गये तथा वादी को ऐलानियां धमकी दी कि वे किसी वसीयत को नहीं मानते हैं तथा वे अतिशिघ्र भूमि विवादग्रस्त का छोटे—छोटे भूखण्डों में बेचान, हस्तान्तरित करके रहेंगे, तथा वादी को उसके हक हिस्से से जबरिया बेदखल करके रहेंगे, तथा प्रतिवादी संख्या 16 को कब्जा करवाके रहेंगे। इसलिये वादी को यह वाद पत्र पेश करना लाजमी आया है। वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा का डिक्री किया जाकर भूमि विवादग्रस्त का एकमात्र मालिक व स्वामी वादी को होने की घोषणा वसीयत दिनांक 10.10.1986 के आधार पर की जावें एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा प्रतिवादीगण जो जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 भूमि विवादग्रस्त में वादी के कब्जे काश्त में, उपयोग—उपभोग में, उपजों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी, बाधा, रुकावट, व्यवधान, मजाहमत या मदाहखलात पैदा नहीं करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त का किसी दीगरान् को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, गिरवी, बक्शीश, आदि करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में पुख्ता या खाम निर्माण कार्य करें, ना ही निर्माण सामग्री डाले, ना ही भूमि विवादग्रस्त में नींव, खड्डे आदि खोदे, ना ही भूमि विवादग्रस्त की सींव डोल में तोड फोड करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में उगे हरे वृक्षों को काटे, छांगे, ना ही वादी को उसके कब्जे काश्त से जबरिया लठ्ठ के बल पर बेदखल करें, ना ही कब्जा करवाये, तथा प्रतिवादी संख्या 16 अपने हक में हुये विक्रय पत्र के आधार पर आगे भूमि का बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें, ना ही विक्रय पत्र के आधार पर भूमि में कब्जा करने की कोशिश करें, तथा प्रतिवादी संख्या 17 भूमि विवादग्रस्त बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करें, तथा प्रतिवादी संख्या 18 भूमि विवादग्रस्त बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 ता 16 द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र या विलेख पत्र को तस्दीक नहीं करे। उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, या परिवारजन के द्वारा करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 18 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में प्रदर्श —1 असल वसीयत नामा, प्रदर्श —2 मृत्यु प्रमाण पत्र परसाराम का पेश किये गये व मौखिक साक्ष्य के रुप में साक्ष्य शपथ—पत्र PW1 गोपीराम, PW2 प्रेम देवी,

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

...र अखिलेश व हरिराम, मोहनलाल, तीजा देवी, सन्तोष देवी के पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने कथन किया की मृतक परसाराम द्वारा अपनी सम्पर्ण चल–अचल सम्पति की वसीयत दिनांक 10.10.1986 को वादी के हक में प्रथम व अन्तिम वसीयत रुबरु गवाहान के समक्ष की गई थी जो कि नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है। उक्त वसीयत को किसी भी पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालय में अद्दिनांक तक चुनौती नहीं दी गई है। इसलिये वादी के वाद–पत्र को वसीयत के आधार पर डिक्री किया जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में उक्त वादग्रस्त भूमि का परसाराम के अन्य वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 द्वारा बेचान प्रतिवादी संख्या 16 को किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि दादा परसाराम की स्वअर्जित भूमि है या पैत्रिक भूमि है, इस बाबत् भी कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी अपने वाद–पत्र को सिद्ध करने में असफल रहा है। न्यायालय अभिमत में वादी का वाद–पत्र खारिज योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रै0) चौमू

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधि ाकारीः –श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–31/2014

उनवान

गोपीराम पुत्र स्व0 श्री नरसींगराम जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र नरसींगराम
2. घनश्याम पुत्र बालूराम
3. महेन्द्र पुत्र बालूराम
4. नानूडी देवी पत्नि स्व0 भागीरथ
5. बनवारी लाल पुत्र स्व0 भागीरथ
6. बनवारी लाल पुत्र स्व0 भागीरथ
7. लाडा देवी पुत्री स्व0 बालूराम
8. मान्नी देवी पुत्री स्व0 बालूराम
9. पावर्ती देवी पुत्री स्व0 बालूराम
10. आंची देवी पुत्री स्व0 बालूराम
11. रुपा देवी पुत्री स्व0 भागीरथ
12. मंजू देवी पुत्री स्व0 भागीरथ
13. ललिता देवी पुत्री स्व0 भागीरथ
14. ज्याना देवी पुत्री स्व0 परसाराम
15. छोटा देवी पुत्री स्व0 परसाराम

    समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
16. रविशंकर पुत्र जगदीश रैगर, जाति रैगर, निवासी क्यूं 3/1, एल0आई0सी0 अपार्टमेन्ट, 5–6 विद्याधर नगर जयपुर, जिला जयपुर।
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. उप–पंजियक, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती देवयानी आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादी द्वारा वाद पत्र में उक्त वादग्रस्त भूमि का परसाराम के अन्य वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 15 द्वारा बेचान प्रतिवादी संख्या 16 को किया जा चुका है। वादग्रस्त भूमि दादा परसाराम की स्वअर्जित भूमि है या पैत्रिक भूमि है, इस बावत् भी कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी अपने वाद–पत्र को सिद्ध करने में असफल रहा है। अतः वादी का वाद–पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मुकदमा सं0–31 / 2014
उनवान– गोपीराम बनाम ताराचन्द
निर्णय दिनांक– 28.08.2019

निजी ...x...मबलिक ....x.... बाबत ....x......खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..x. ....x...... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .....x को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.08.2019 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत Devyani
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)
ओहदा.......

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6.बाबत इजराय हुक्मनामा	
7.बाबत इजराय हुक्मनामा		7.मुतफरिक	
8.मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	

सहायक कलक्टर चौमूं (फास्ट ट्रेक) जिला जयपुर

Devyani
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2019.12.02 12:59:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: